बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 208 ● नई दिल्ली ● वीरवार 04 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

4 जून को केंद्रीय गृह मंत्री का शिलांग दौरा, पूर्वोत्तर विकास योजनाओं की समीक्षा

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के 73वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिकारियों के अनुसार, बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी और निवेश को बढ़ावा देने जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल होंगे। आज आयोजित पूर्व-पूर्ण अधिवेशन बैठक में बांस, अगरवुड, आध्यात्मिक दर्शन और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गुरुवार को होने वाले पूर्ण अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए गठित मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की प्रगति पर चर्चा होगी।

बचाओ-बचाओ की चीखें और धुएं का गुबार... चश्मदीदों ने बयां किया मालवीय नगर हादसे का खौफनाक मंजर

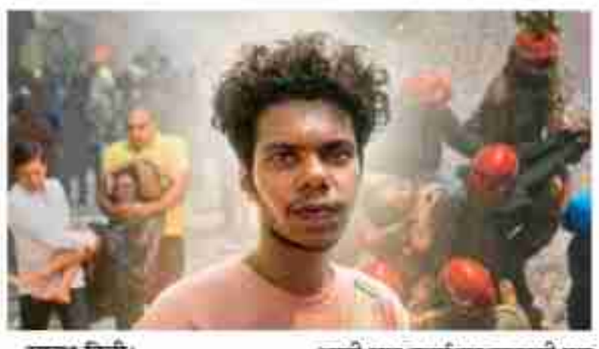

साउथ दिल्ली।

आज सुबह मैं पार्क में टहल रहा था, तभी मेरी नजर धुएं के गुबार पर पड़ी। मैं फौरन घटनास्थल की ओर भागा और देखा कि पहली मंजिल पर मौजूद लोग बचाओ! बचाओ! चिल्ला रहे थे। अगले पल, एक विदेशी नागरिक पहली मंजिल से लटका हुआ था और सुरक्षित जगह पर कूदने की कोशिश कर रहा था। जिस इमारत में यह घटना हुई, उसके पीछे गढ्ढे बनाने की एक दुकान थी। उन्होंने नीचे जमीन पर एक गद्दा बिछा दिया, जिस पर कूदकर चार लोगों ने अपनी जान बचाई।यह जानकारी एक चश्मदीद अधिन ने दी। चार-पांच अन्य लोगों की मदद से, उन्होंने वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस को रुकवाया और यह सुनिश्चित किया कि पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। रिपोर्टों के अनुसार, महज कुछ ही मिनटों के भीतर आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। बता दें कि बुधवार सुबह मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। यह घटना सुबह नाश्ते के समय हुई।

जान बचाने के लिए लोगों ने इमारत से लगा दी छलांग

यह रेस्टोरेंट इमारत के बेसमेंट में चल रहा था। आग लगने के बाद, आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई और उसने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भीषण लपटों को देखकर, कई लोगों ने अपनी जान बचाने की हताश कोशिश में इमारत से नीचे रखे गद्दों पर छलांग लगा दी।

रेस्टोरेंट में 60 से ज्यादा लोग मौजूद

रेस्टोरेंट के ऊपर एक गेस्ट हाउस था, जिसमें विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। रेस्टोरेंट के ठीक सामने मैक्स हॉस्पिटल स्थित है। अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों के तीमारदार इसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। घटना के समय रेस्टोरेंट में नाश्ता परोसा जा रहा था, जहाँ 60 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रेस्टोरेंट वाले हिस्से के अलावा, बेसमेंट में कई अन्य कमरे भी थे जहाँ लोग मौजूद थे।

पुलिस पर जबरन वसूली का आरोप- सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत, कहा- जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित जबरन वसूली के तीन पुलिस अधिकारियों आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा, जब कानून लागू करने वाले अधिकारी जबरन वसूली करने वाले बन जाते हैं, तो नागरिक संदेह की नजर से देखता है और दुविधा में पड़ जाता है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश को अस्पष्ट बताते हुए रद्द कर दिया। पीठ ने कहा, विरोध करना तत्काल प्रतिशोध को न्योता देना है और एकमात्र विकल्प वर्दीधारी अधिकारियों के सामने चुपचाप आत्मसमर्पण करना है। इस मामले में, शिकायतकर्ता अपनी बेटी के साथ मुंबई से हाथ दुरंतो एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था। उन्हें और उनके बहनोई को, जो उन्हें छोड़ने आए थे। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ का पता लगाने वाले पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। यात्री के सामान की तलाशी के दौरान 14 ग्राम सोने की छड़ और 31,900 रुपये नकद बरामद हुए। संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बावजूद, वर्दीधारी पुलिसकर्मियों में से एक तीनों को पास के एक कमरे में ले गया, जहां उन्हें धमकाया गया और मौखिक रूप से गाली दी गई। उन्हें सोने की छड़ के बदले नकद देने के लिए मजबूर किया गया। शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराई जिसके बाद सत्र न्यायालय ने अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तीनों अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी, जिसमें पाया गया कि आरोपियों ने पहचान पत्र पहन रखे थे। पीठ ने कहा हमें आश्चर्य है कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि उनमें संकट का कोई संकेत नहीं है, विशेषकर तब जब फुटेज में उनके भाव स्पष्ट नहीं हैं। हमने यह भी देखा कि दोनों वयस्क आगे बढ़ रहे थे, उनमें से एक अपने हाथों से बेचैनी से इशारे कर रहा था जबकि बच्चा पीछे-पीछे चल रहा था, जो संकट का स्पष्ट संकेत है। कोर्ट ने आगे कहा कि हमें यह भी पता चला है कि बंद कमरे के अंदर बिताया गया समय पुलिसकर्मियों के लिए शिकायत में उल्लिखित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त था, जिसे हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में आपराधिक मुकदमे में साबित करना होगा।

कॉकरोच जनता पार्टी ने तीन प्रवक्ताओं के नामों का किया एलान, खोजी पत्रकार सौरव दास को बनाया मुख्य प्रवक्ता

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी ने जनता और मीडिया से बात करने के लिए तीन प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। सीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट कॉकरोच इन बैंक के जरिए सोशल मीडिया पर इन नियुक्तियों की जानकारी दी। पोस्ट के अनुसार, खोजी पत्रकार सौरव दास को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। इनके अलावा, राजनीतिक शोधकर्ता, लेखिका और फिल्म निर्माता विजेता दहिया तथा आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी मैकिंजी से जुड़े रहे आशुतोष रांका को भी पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। सीजेपी ने कहा है कि वह भारत में राजनीतिक विमर्श को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पहल का नेतृत्व नई पीढ़ी के नेता करेंगे। पोस्ट में दावा किया गया है कि पार्टी का उद्देश्य देश में नई राजनीतिक सोच और संवाद को बढ़ावा देना है, जिसके लिए युवा नेतृत्व को आगे लाया जा रहा है।

कौन हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता?

सौरव दास को कानूनी, न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता करने का अनुभव है। सीजेपी ने दावा किया है कि साल 2025 में इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसमें सौरव दास की प्रमुख भूमिका थी। वहीं विजेता दहिया यूट्यूब पर कई शोध और कंटेंट क्रिएशन कर चुकी हैं। विजेता दहिया ने किताबें भी लिखी हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रीय फिल्मों में लेखन और निर्देशन भी किया है। आईआईटी, कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र रहे आशुतोष रांका लंदन में प्रतिष्ठित परामर्श कंपनी मैकिंजे में काम कर चुके हैं और बीते साल भारत लौटे हैं। आशुतोष रांका पर्यावरण शिक्षा और युवाओं से जुड़े विभिन्न अभियानों से जुड़े हैं।

6 जून को भारत लौटेंगे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी नामक सोशल मीडिया अभियान के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एलान किया है कि वे 6 जून को भारत आ रहे हैं। अभिजीत दीपके फिलहाल अमेरिका में हैं। दीपके ने ये भी कहा कि वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी एक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था। जिस पर खूब विवाद हुआ और इस विवाद के बाद ही सोशल मीडिया पर विरोध अभियान कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले अभिजीत दीपके ने इस सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की।

ठेका घोटाला- कांग्रेस का अरुणाचल के सीएम पर आरोप, कहा- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फाइल पर रख रहे नियंत्रण

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में मनमानी करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उन सभी फाइलों पर नियंत्रण रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सीबीआई जांच का हिस्सा होनी हैं सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकों के तरजीही आवंटन के आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया। जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये ठेके मुख्यमंत्री खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली या उनसे संबंधित कंपनियों को दिए गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि खांडू के मामले में भाजपा ने सभी सिद्धांतों और मानदंडों को त्याग दिया है। यह सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। रमेश ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से वहां के मुख्यमंत्री के फैसले की सीबीआई जांच का आदेश दिए। इसके बावजूद, भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में बेशर्मी से काम लेने का स्पष्ट फैसला लिया है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव ने कहा, मुख्यमंत्री अभी भी सार्वजनिक कल्याण मंत्री हैं और

इसलिए सीबीआई जांच में शामिल होने वाली सभी फाइलों पर उनका नियंत्रण है। सभी सिद्धांतों और मानदंडों को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश की जनता और भारत के संविधान का अपमान है। पिछले महीने कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खांडू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद उन्हें पद से क्यों नहीं हटाया गया हैरमेश ने कहा था कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा था कि 6 अप्रैल, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई को उन आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार को जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक 10 वर्षों में 1,270 करोड़ रुपये के ठेके सीधे हितों के टकराव में दिए गए थे। यह देखते हुए कि राज्य और उसके तंत्र किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक पदाधिकारी की मनमानी के अनुसार लाभ नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जहां स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि जहां कोई मामला सार्वजनिक खरीद की अखंडता से संबंधित है और इसमें उच्चतम स्तर पर हितों के टकराव के आरोप शामिल हैं, वहां जांच न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष प्रतीत भी होनी चाहिए।

बिजली कमी को लेकर जगह-जगह जन-आंदोलन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से बिजली की खपत कम करने की अपील की है। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। उनका यह आश्वासन सराहनीय है। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। इसी हफ्ते टीवी पर एक शो में बहस के दौरान पत्रकारों ने बताया कि नोएडा में बिजली का भारी संकट चल रहा है। बहुमंजलीय इमारतों में रहने वाले लोग भी बेहाल है। क्योंकि उन्हें पॉवर बैक-अप नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में बिजली कमी को लेकर जगह-जगह जन-आंदोलन चल रहे हैं। जनता की शुरू से ही यह शिकायत रही है कि उनके बिल खपत से कई गुना ज्यादा आ रहे हैं। जनता ने 'स्मार्ट मीटर' उखाड़ कर फेंकने शुरू कर दिए और आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई। योगी सरकार ने अब इन मीटरों को ना लगाने का फैसला किया है। वैसे तो हर साल गर्मियों में खास कर कर उत्तर भारत में बिजली का संकट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि बांधों में जल का स्तर तेजी से घटता है और नदियां भी सूखने लगती हैं। कारण पहाड़ों पर चल रहे सड़कों के विस्तार ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है जिससे वर्षा की मात्रा तेजी से गिर गई है। पहाड़ ही क्यों मैदानों में भी जंगलों की अविवेकपूर्ण कटाई ने देश का हरित क्षेत्र खतरनाक स्तर तक कम कर दिया है। जब ज्यादा हरियाली होती है तो वातावरण में नमी पैदा होती है और उससे वर्षा होती है। अगर बिजली की खपत पर लौट कर आएं तो योगी जी की ये चिंता निर्मूल नहीं है। एक जमाने में खस के पर्दे से ही भवन ठण्डे किए जाते थे। फिर कूलर का दौर आया और आज तो घर-घर एसी लग गए हैं। पर एसी की जितनी खपत आम नागरिक करते हैं उससे कई गुना ज्यादा सरकारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान करते हैं। योगी जी अगर अपने मंत्रालयों के भवनों का औचक निरीक्षण करें तो पाएंगे कि जब अफसर और बाबू कमरों में नहीं होते तब भी वहां कई-कई एसी फालतू चलते रहते हैं। यही हाल अन्य प्रांतों के सरकारी दफ्तरों का भी होता है। इसलिए बिजली की खपत कम करने की पहल जितनी नागरिकों की तरफ से जरूरी है, उतनी ही शासक वर्ग से भी है। हाइड्रो पॉवर या थर्मल पॉवर की बिजली बनाने की अनेकों सीमाएं हैं। इससे उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं होता। उल्लेखनीय है कि मई 2026 में उत्तर प्रदेश ने 31,824 मेगावाट का रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरा करने का दावा किया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि शहरों में 24 घंटे और गांवों में 18-22 घंटे बिजली दी जा रही है। केंद्र सरकार भी पूरे देश में 270 से अधिक पीक डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा कर रही है। 2012 के बड़े ब्लैकआउट की तुलना में यह प्रगति प्रभावित करती है लेकिन इन आंकड़ों की चमक जमीनी हकीकत को छुपा नहीं पा रही। वास्तविकता यह है कि यूपी में ललितपुर व घाटमपुर जैसे थर्मल प्लांटों के बंद पड़े रहने से बिजली का संकट गहराया है। कोयला आपूर्ति की कमी और ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पुरानेपन ने स्थिति और बिगाड़ दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6-12 घंटे तक बिजली गुल रहने की शिकायतें आम हैं। लखनऊ, गोंडा, वाराणसी जैसे शहरों में भी रात के समय बिजली की कटौती हो रही है। यहां तक कि भाजपा के विधायक भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार का दावा है कि मांग बढ़ने के कारण समस्या है, न कि उत्पादन की कमी। लेकिन सवाल उठता है कि जब हर साल गर्मी आती है और मांग बढ़ती है, तो तैयारी क्यों नहीं होती? पिछले वर्षों में क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन वितरण व्यवस्था में सुधार अपर्याप्त रहा। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर, पुरानी लाइनें और शाम के समय सोलर जनरेशन घटने के बाद की कमी को प्रबंधित करने की ठोस योजना नजर नहीं आती। ऊर्जा एक्सचेंज से भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। क्योंकि पूरे उत्तर भारत में बिजली की मांग समान रूप से बढ़ी हुई है। यह संकट केवल गर्मी का नहीं, बल्कि नीतिगत विफलता का भी है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बावजूद, बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड पर पर्याप्त निवेश नहीं हुआ। किसान, छोटे उद्योग और आम घरेलू उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी में बिजली न होने से स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति और आजीविका सब प्रभावित हो रही है। सरकार को अब संख्याओं से आगे बढ़कर समाधान पर ध्यान देना चाहिए। थर्मल प्लांटों का तुरंत रखरखाव, नई ट्रांसमिशन लाइनों का तेजी से निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आधुनिकीकरण और मांग प्रबंधन की बेहतर रणनीति जरूरी है। '24x7 बिजली' के बड़े-बड़े दावे तब तक खोखले रहेंगे, जब तक जनता को राहत न मिले। विद्युत क्षेत्र में प्रगति निश्चित रूप से हुई है, लेकिन संकट के समय यह प्रगति जनता तक नहीं पहुंच रही। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी भारी है। सरकार को अब दावों से हटकर वास्तविक सुधार पर ध्यान देना होगा, अन्यथा गर्मी के साथ-साथ जनाक्रोश भी बढ़ता रहेगा।

भारत की अर्थव्यवस्था और उसके संप्रभु अधिकार

भारत-अमेरिका के बीच नये व्यापार समझौते पर नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार से अन्तिम बातचीत शुरू हो गई है अतः इस मोर्चे पर भारत को अपने राष्ट्रीय आर्थिक हित इस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित रखने होंगे जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए द्विपक्षीय स्तर पर आर्थिक सम्बन्धों को वह दिशा प्रशस्त हो सके जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था और इसके संप्रभु अधिकारों पर किसी प्रकार से भी अंगुली न उठ सके। इस सन्दर्भ में पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच जो अन्तरिम समझौता हुआ था उसे लेकर भारत के विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पार्टी में भारी रोष था और उसने इस समझौते की तीखी आलोचना यह कहते हुए की थी कि इससे भारत के कृषि क्षेत्र व मध्यम श्रेणी के निर्यात समर्पित उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विगत वर्ष अगस्त में हुए अन्तरिम समझौते में अमेरिका ने भारतीय आयात दुतरफा शुल्क प्रणाली के तहत 50 प्रतिशत शुल्क दरें लगाने की घोषणा कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह व्यवस्था अपने देश के उद्योग व वाणिज्यिक हितों को सुरक्षित रखने की गरज से की थी जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था के मानकों पर प्रतिकूल असर पड़ा था परन्तु ट्रम्प प्रशासन की इस शुल्क नीति को जब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो उसने इसे अवैध करार दे दिया और निर्णय दिया की अमेरिकी सरकार विदेशों से आयातित सामान पर 10 प्रतिशत शुल्क ही लगा सकती है। ट्रम्प ने जो दुतरफा शुल्क प्रणाली लागू की थी वह अपने देश के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक इमरजेंसी कानून के तहत लागू की थी। इस व्यापार समझौते में भारत पर यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया था कि वह रूस से कच्चा पैट्रोलियम तेल नहीं खरीदेगा। वाणिज्य समझौते के इस प्रावधान को भारतीय संप्रभुता के विरुद्ध बताया गया परन्तु विगत फरवरी महीने में जब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा विदेशों से किये गये व्यापार समझौतों को रद्द कर दिया तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वह भारतीय आयातित माल पर 18 प्रतिशत की दर से शुल्क लगायेगा मगर शर्त यह होगी कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना धीरे-धीरे बन्द कर दे। इसके साथ ही अमेरिका से भारत को आगामी पांच वर्षों के दौरान 500 अरब डॉलर के मूल्य की वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा जिनमें ऊर्जा सम्बन्धी उत्पाद भी शामिल होंगे। जाहिर है कि ऐसे उपबन्धों से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना लाजिम था। मगर इसी बीच एक घटनाक्रम यह हुआ कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में ईरान के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया जिससे विश्व के बहुत से देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति बनती चली गई और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। मगर विगत वर्ष की अमेरिकी व्यापारिक घोषणाओं की वजह से भारत में विदेशी पूंजी निवेश के पलायन में वृद्धि दर्ज होने लगी और इसकी मुद्रा रुपये के मूल्य में डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज होने लगी परिणामतः रुपये की कीमत में विगत वर्ष के दौरान 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और अब इसकी विनिमय दर 95 रुपए प्रति डॉलर के आसपास है परन्तु देश की मोदी सरकार ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका के साथ नये व्यापार समझौते की तरफ बढ़ना इस प्रकार शुरू किया कि भारतीय आर्थिक हितों का संरक्षण हर हालत में हो सके। यही वजह है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बदस्तूर जारी रखा, हालांकि इसके लिए कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की फौरी छूट दे दी थी परन्तु अब भारत की वाणिज्य नीति यह है कि वह अपने आर्थिक हितों को देखते हुए रूस से कच्चे तेल का आयात मन मुताबिक करेगा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी 24 जुलाई तक के लिए नई 10 प्रतिशत शुल्क प्रणाली लागू करने के आदेश दिये थे जिसकी मियाद जल्दी ही खत्म होने जा रही है अतः अमेरिका व भारत चाहते है कि नया समझौता जल्दी ही हो जाना चाहिए जिसकी वजह से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत यात्रा पर है। इससे पूर्व भारत का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका की यात्रा पर होकर आ चुका है लेकिन दूसरी ओर ट्रम्प सरकार अपने देश के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत विदेशों से व्यापार समझौते करना चाहती है जिसे अमेरिकी कांग्रेस की पूरी सहमति प्राप्त है। विशेषज्ञों के अनुसार यह धारा और भी ज्यादा सख्त हो सकती है क्योंकि इसके तहत अमेरिकी सरकार अपने राष्ट्रीय आर्थिक व वाणिज्यिक हितों के संरक्षण के लिए दुतरफा शुल्क प्रणाली से भी ज्यादा कठोर कदम उठा सकती है। इसके अन्तर्गत ट्रम्प प्रशासन को यह अधिकार है कि वह अमेरिका को अपना माल निर्यात करने वाले उन देशों की जांच करे जो अमेरिकी बाजार में अपना माल बहुतायत में फेंक देते है। उसने 301 के तहत ऐसे 16 देशों के विरुद्ध जांच चला रखी है, जिनमें चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कम्बोडिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वीयतनाम, ताईवान और बांग्लादेश के साथ भारत भी शामिल है।

सम्पादकीय...

जांच की कार्यवाही की गुहार

आए दिन जब जांच एजेंसियां कहीं रेड डालती है तो जिसके यहां रेड पड़ती है वह तिलमिला जाता है और कहता है कि सरकार उससे बदला ले रही है। ऐसा प्रोपेगंडा विपक्षी पार्टियों द्वारा भी फैलाया जाता है, जबकि यह सच नहीं होता। जांच बदले की नियत से नहीं बल्कि कहीं किसी प्रकार की शिकायत और गड़बड़ी के बाद ही होती है। भारत की तेजी से बदलती आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था में सरकारी जांच एजेंसियां कानून के शासन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और आयकर विभाग जैसी संस्थाएं वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और फ्रॉड के खिलाफ लगातार संघर्ष करती है। इनकी मेहनत, समर्पण और कई बड़ी सफलताओं की सराहना की जानी चाहिए। होता क्या है कि अच्छी नीयत के बावजूद इन एजेंसियों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। एक अधूरी जांच के आधार पर जारी प्रेस रिलीज या तीखा सार्वजनिक बयान कभी-कभी निर्दोष संस्थानों, व्यवसायों और शिक्षा केंद्रों की साख को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। सालों की मेहनत एक रात में धूल-धूसरित हो सकती है। सिक्के का दूसरा रुख यह है कि कई बार बड़े-बड़े पिये हुए सियासी दिग्गजों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही की गुहार और केस लगाए जाते है तो न केवल जांच एजेंसियां बल्कि कोर्ट भी ढीले दिखाई देते है और लगता है कि राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, जैसा कि पूर्व मंत्री नजमा हेपतुल्ला के फोटो मॉर्फिंग केस में हुआ कि न तो सीबीआई ने कुछ एक्शन लिया और न ही कोर्ट ने कुछ किया सिवाय तारीख पे तारीख देने के। जहां तक आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली प्रतिष्ठित संस्था फिटजी से जुड़ा मामला है, वह भी उल्लेखनीय है। 1992 में स्थापित यह संस्थान पिछले 33 वर्षों से लाखों छात्रों को आईआईटी-जी की तैयारी करा रहा है और देश के कोचिंग जगत में अपनी अलग पहचान रखता है। 26 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत प्रेस रिलीज जारी की। इसमें फिटजी पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड का आरोप लगाया गया और दावा किया कि 206 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रॉसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में जब्त की गई है। ईडी ने आरोप लगाया कि संस्थान ने छात्रों को उचित सेवाएं नहीं दीं और व्यवस्थित तरीके से धन का गबन किया। इस खबर का असर तुरंत और विनाशकारी यह रहा कि बच्चों के परिवारों पर सदमा तारी हो गया। लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों में हड़कंप मच गया, जिन्होंने वर्षों से इस ब्रांड पर अंधा भरोसा किया था, जो संस्थान देशभर में सफलता का पर्याय माना जाता था, उसकी छवि एक झटके में प्रभावित हो गई। सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने ठीक ही कहा कि सरकार को एजेंसियों को ऐसे बयान जारी करने से पहले पर्याप्त एहतियात बरतनी चाहिए। एक रात में किसी भी संगठन की साख को अपूरणीय नुकसान पहुंच सकता है। फिटजी की तरफ से न्याय में गुहार लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रेस रिलीज मात्र प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित थी। शो-कॉज नोटिस तक जारी नहीं किया गया था, जो प्रक्रिया का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष ईडी ने आश्वासन दिया कि सात दिनों के अंदर प्रेस रिलीज हटा ली जाएगी।

लब्बोलुआब यह है कि एसआईआर संवैधानिक है और आगे भी जारी रहेगा

बीते एक साल से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की देशभर में चर्चा है। पिछले साल जून में ये प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई और उसके बाद इसे नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में करवाया गया। विपक्ष एसआईआर पर लगातार सवाल उठाता रहा है। हाल में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी एसआईआर को लेकर काफी चर्चा रही। कुछ ही दिन पहले 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में एसआईआर को वैध करार दिया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि इस निर्णय के क्या मायने हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विपक्षी दलों द्वारा एसआईआर को लेकर उठाये गये सवाल और संदेह दूर हो गये है? क्या विपक्ष अब एसआईआर का विरोध नहीं करेगा? सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग के एसआईआर को पूरी तरह वैध और संवैधानिक करार दिया है। इसे स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव और शुद्ध, साफ मतदाता सूची के संदर्भ में चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार भी माना है। संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21 (3) का किसी भी तरह उल्लंघन स्वीकार नहीं किया है। 'वोट चोरी' और 'नागरिकता छीन लेने' सरीखे विपक्ष के आरोपों और याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। न्यायिक पीठ का मानना है कि मतदाता सूची से नाम कटने का अर्थ यह नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। नागरिकता का अंतिम फैसला सक्षम अथॉरिटी यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय लेगी। अलबत्ता आयोग नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है, ताकि पात्र मतदाता तय किया जा सके। नागरिकता का विचाराधीन निर्णय आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनावों तक ले लिया जाना चाहिए। लब्बोलुआब यह है कि एसआईआर संवैधानिक है और आगे भी जारी रहेगा। सर्वोच्च अदालत ने किसी भी प्रकार की 'रोक' से साफ इंकार कर दिया। अधिकांश याचिकाएं बिहार के संदर्भ में थीं, लिहाजा एसआईआर के तहत जिन 7.2 करोड़ नाम मतदाता सूचियों से काट दिए गए है, उन पर सर्वोच्च अदालत ने कुछ नहीं कहा। सवाल मौजू है कि क्या वे लोग विदेशी नागरिक या घुसपैठिए हैं? क्या उनके नाम न्यायिक समीक्षा के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएंगे? आयोग ऐसे लोगों का अधिकृत आंकड़ा ही दे दे, बेशक व्यक्ति की पहचान न बताए। यदि इन नामों में से अधिकांश भारत के नागरिक हैं, तो वे मतदाता क्यों नहीं हैं? बुनियादी संवैधानिक व्यवस्था यही है कि जो पात्र नागरिक है, वह मतदाता भी है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किये हैं। चुनाव आयोग में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। वह एक संस्था है और उसके अपने अधिकार हैं, लेकिन वह भी अपने संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं जा सकता है। चुनाव आयोग संविधान के तहत मिले अधिकारों का पालन करता है। हालांकि, जब वह सख्ती से नियमों का पालन करता है तो इससे कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। चुनाव आयोग 14 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में एसआईआर का अभियान समाप्त कर चुका है। 19 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में अभी बाकी है। वहां जून से अभियान शुरू हो रहा है। जहां तक विपक्ष के विरोध का सवाल है, उसके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। ऐसे में चर्चा में बने रहने के लिए वो समय-समय पर सरकार और संवैधानिक संस्थाओं की साख धूमिल करने की नीयत से तर्क और तथ्य हीन मुद्दे उठाते रहता है। विपक्षी दलों ने 2019 और 2024 के आम चुनाव में संविधान को खतरे में बता रहे थे। अभी एसआईआर के विषय को लेकर दुष्प्रचार किया गया। एसआईआर के बाद कई राज्यों में हुए चुनाव में मतदाताओं को लाभ ही हुआ है। चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है। असल में विपक्ष जहां जीत जाता है वहां उसे सारी व्यवस्था सही और संवैधानिक लगती है। हार जाने पर अपनी कमियों और गलतियों पर गंभीरता से चिंतन मंथन की बजाय वो व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने लगा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर में बड़ी संख्या में युवा मतदाताओं के नाम जुड़े है, जबकि मृत, डुप्लीकेट और लंबे समय से बाहर रह रहे लोगों के नाम कटे है। वहां किसी एक पार्टी को सीधा फायदा या नुकसान होने की बात साफ तौर पर सामने नहीं आई। यूपी में भी यही पैटर्न दोहराया जा सकता है, लेकिन यहां का पैमाना और सियासी दांव कहीं बड़े है। इस बात के कई प्रमाण सामने आ चुके है कि विपक्ष विदेशी घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाना और उन्हें नागरिकता दिलाना चाहते है। विपक्ष के ऐसे कृत्यों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा और सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। जो भारतीय नहीं हैं और भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे लोग घुसपैठिए हैं, लेकिन उनको विपक्ष समर्थन दे रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कवर देने का काम ममता बनर्जी की पार्टी ने किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार के गठन के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस भाग रहे हैं। सीमा पर घुसपैठिओं की कतारें विपक्ष को आइना दिखाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में बात करें तो मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि एसआईआर पर लगाए गए विपक्ष के आरोप निराधार सिद्ध हुए है, बल्कि मामला उससे कहीं अधिक गंभीर है। आज विपक्षी दलों का चरित्र जनता के सामने तार-तार हो गया है। सवाल आखिर में यही है कि मतदाताओं की संख्या घटने या बढ़ने से फायदा किसे होगा। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किन इलाकों में, किस सामाजिक वर्ग के और किस उम्र के मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होते हैं या जुड़ते है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुद्ध मतदाता सूची अनिवार्य है। आजाद भारत में पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा। इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। मतदाता सूची का अपडेट नियमित प्रक्रिया है। ऐसे में विपक्ष को दिक्कत किस बात की है? असल समस्या यह है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय विपक्ष हर मुद्दे पर भागने, हंगामा करने और संसद का बहिष्कार करने की राजनीति में मशगूल है।

राष्ट्र पहले की सोच अब केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार

वैश्विक स्तरपर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में दुनियाँ एक ऐसे दौर से गुजर रही है,जहां राष्ट्रीय सुरक्षा,सीमा प्रबंधन,जनसांख्यिकीय संतुलन और अवैध प्रवासन (इललीगल इमीग्रेशन) वैश्विक राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एशिया के अनेक देशों तक लगभग हर सरकार अपनी आव्रजन नीतियों की पुनर्समीक्षा कर रही है।विशेष रूप से अवैध घुसपैठ, सीमापार अपराध, आतंकवाद,मानव तस्करी और राष्ट्रीय संसाधनों पर बढ़ते दबाव ने देशों को अपनी सीमाओं और विदेशी नागरिकों की निगरानी के संबंध में अधिक सतर्क बना दिया है। अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियों का उदय इसी वैश्विक प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, जहां राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुएआव्रजन नियंत्रण को शासन की केंद्रीय नीति बनाया गया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इसी व्यापक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बीच भारत ने भी अपनी आव्रजन व्यवस्था को अधिक आधुनिक,पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिनांक 1 जून 2026 को देर शाम आव्रजन और विदेशी (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए ये संशोधन केवल प्रक्रियागत परिवर्तन नहीं है, बल्कि वे भारत की बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं, प्रशासनिक आधुनिकीकरण और वैश्विक मानकों के अनुरूप आव्रजन प्रबंधन की नई सोच को भी प्रतिबिंबित करते हैं।भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आव्रजन और विदेशी (संशोधन) नियम, 2026 ऐसे समय में सामने आए हैं जब पूरी दुनिया आव्रजन और सीमा सुरक्षा के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है। पिछले एक दशक में अवैध प्रवास, सीमा पार आतंकवाद, मानव तस्करी, साइबर अपराध, नकली दस्तावेजों के उपयोग और जनसांख्यिकीय बदलावों ने अनेक देशों को अपनी नीतियों को कठोर बनाने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौर से लेकर यूरोप के विभिन्न देशों तक यह धारणा मजबूत हुई है कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा का पहला आधार उसकी सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण है। यही कारण है कि राष्ट्र पहले की सोच अब केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है। यही कारण है कि राष्ट्र पहले की सोच अब केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि नीति निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बनती जा रही है। साथियों,भारत लंबे समय से दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र, तीव्र आर्थिक विकास वाले राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय निवेश एवं शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। हर वर्ष लाखों विदेशी नागरिक व्यापार,शिक्षा,चिकित्सा पर्यटन और अन्य उद्देश्यों से भारत आते है। ऐसे में विदेशी नागरिकों की उपस्थिति का सटीक रिकॉर्ड,उनके ठहराव की निगरानी और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना किसी भी आधुनिक राष्ट्र-राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने 1 जून 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर आव्रजन और विदेशी (संशोधन) नियम, 2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इन संशोधनों का उद्देश्य एक ओर विदेशी नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाना है, वहीं दूसरी ओर नियामक निगरानी को मजबूत करना और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करना भी है।संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन विदेशी नागरिकों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की समयसीमा से जुड़ा है। पहले व्यवस्था यह थी कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों से अधिक अवधि तक रहने वाला हो, तो उसे 180 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिनों के भीतर अपना पंजीकरण कराना होता था। नई व्यवस्था के तहत यह प्रावधान बदल दिया गया है और अब संबंधित विदेशी नागरिक को 180 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले ही किसी भी समय पंजीकरण कराना होगा। पहली दृष्टि में यह परिवर्तन तकनीकी लग सकता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सरकार को विदेशी नागरिकों के संबंध में अग्रिम जानकारी प्राप्त होगी और निगरानी तंत्र अधिक प्रभावी बन सकेगा। साथ ही, अंतिम समय में होने वाली प्रक्रियात्मक जटिलताओं और पंजीकरण में देरी की संभावनाएं भी कम होंगी। साथियों, इस बदलाव का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू विलंबित पंजीकरण के प्रति अपनाया गया कठोर दृष्टिकोण है।पहले जहां कुछ परिस्थितियों में देरी से पंजीकरण कराने की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक थी, वहीं अब संशोधित नियमों के अनुसार निर्धारित समयसीमा के बाद पंजीकरण केवल असाधारण और आपातकालीन परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। इसका स्पष्ट संदेश यह है कि भारत अब विदेशी नागरिकों से समयबद्ध अनुपालन की अपेक्षा करता है और नियमों के उल्लंघन के प्रति पहले की तुलना में अधिक सख्त रुख अपनाना चाहता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी वीजा और पंजीकरण नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था है। भारत का यह कदम सटीक रूप से उसी अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप दिखाई देता है। साथियों संशोधित नियमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू भारतीय और विदेशी नागरिकता से जुड़े बच्चों के संबंध में किया गया परिवर्तन है। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय विवाह और बहुराष्ट्रीय परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अनेक बच्चों की स्थिति ऐसी होती है जहां वे भारतीय नागरिकता के पात्र भी होते हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता से भी जुड़े होते हैं। गृह मंत्रालय ने इस जटिलता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है कि यदि माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो ऐसे मामलों में सामान्य विदेशी पंजीकरण नियम लागू नहीं होंगे। यह प्रावधान न केवल प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि उन परिवारों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से भी बचाता है जो दो अलग-अलग राष्ट्रीयताओं से जुड़े होते हैं।हालांकि इस छूट के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। यदि ऐसा बच्चा बाद में भारत में रहते हुए किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो माता-पिता में से किसी एक को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। यह व्यवस्था सरकार को नागरिकता की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने में सहायक होगी। साथ ही, यह नागरिकता और आव्रजन से संबंधित अभिलेखों की शुद्धता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथियों, संशोधन नियमों में एक और उल्लेखनीय परिवर्तन रिपोर्टिंग संबंधी प्रावधानों को लेकर किया गया है। नियम 18 में लेकिन चौबीस घंटे से आगे शब्दों को बदलकर लेकिन चौबीस घंटे से आगे नहीं किया गया है। देखने में यह एक छोटा-सा भाषाई परिवर्तन प्रतीत हो सकता है,किंतुविधिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यधिक है। कानून में प्रयुक्त एक शब्द भी उसकी व्याख्या को पूरी तरह बदल सकता है। इस संशोधन का उद्देश्य नियमों में मौजूद संभावित अस्पष्टता को समाप्त करना और प्रशासनिक अधिकारियों तथा संबंधित संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना है।अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा संस्थानों से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को भी अधिक स्पष्ट बनाया गया है। आधुनिक सुरक्षा ढांचे में केवल सीमा चौकियों पर निगरानी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उन संस्थानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है जहां विदेशी नागरिक ठहरते है या सेवाएं प्राप्त करते है। इस दृष्टि से चिकित्सा संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग नियमों का परिष्करण सरकार की व्यापक निगरानी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। साथियों, संशोधित नियमों की सबसे प्रगतिशील विशेषताओं में से एक अपील प्रक्रिया का डिजिटलीकरण है। अब यदि किसी मालिक, प्रबंधक या रखवाले को आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत जारी किसी आदेश से आपत्ति है, तो वह आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपील कर सकता है। यह परिवर्तन भारत सरकार के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को मजबूत करता है। ऑनलाइन अपील प्रणाली न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि समय और संसाधनों की बचत भी करेगी। इससे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान और सुलभ न्यायिक अवसर प्राप्त होंगे।और भी महत्वपूर्ण यह है कि संशोधित नियमों में अपीलों के निपटारे के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद कारणयुक्त आदेश पारित करना होगा और सामान्यतः 60 दिनों के भीतर अपील प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करना होगा। भारत में प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं में होने वाली देरी लंबे समय से चिंता का विषय रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वरुण ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्टालूना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/0862)

भूमि संबंधी प्रकरणों में लापरवाही पर हो सख्त कार्रवाई - मुख्यमंत्री

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई क्षम्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कुछ लोगों ने जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मियों की तरफ से लापरवाही किए जाने की शिकायत की तो उन्होंने डीएम को तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस

जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने डीएम को दिए निर्देश

लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन में 150 लोगों की समस्याएं सुनीं

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ने लोगों को दिया भरोसा- किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी निर्देश दिया

अवसर पर इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड

बनवाया जाएगा और इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। एक महिला ने कुछ लोगों द्वारा मकान से बेदखल किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि मकान पर महिला का कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने अलग-अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में एक महिला ने मां के इलाज के लिए सहायता देने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। इस पर सीएम ने मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। अधिकारी हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि उन्हें विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

गोसेवा की और बच्चों पर प्यार लुटाया सीएम योगी ने

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ और अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गोशाला में गोसेवा की। गोवंश को अपने हाथ से गुड़-रोटी खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया।

इसी क्रम में मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने परिजनों के साथ आए बच्चों को पास बुलाकर उन्हें दुलराया। चॉकलेट दीं और उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत की। सीएम ने बच्चों को खूब पढ़ने-आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया।

दारा सिंह चौहान बने कुशीनगर के नए प्रभारी मंत्री, राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में चर्चा

कुशीनगर।

प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जनपद के प्रभारी मंत्री पद में परिवर्तन करते हुए कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार देर रात जारी आदेश के अनुसार अब तक जनपद के प्रभारी मंत्री रहे दिनेश प्रताप सिंह के स्थान पर दारा सिंह चौहान कुशीनगर के नए प्रभारी मंत्री होंगे। दारा सिंह चौहान को प्रभारी मंत्री बनाए जाने की सूचना के बाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक हलकों में चर्चा का माहौल है। भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि उनके अनुभव का लाभ जनपद के विकास कार्यों को मिलेगा। वहीं जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में दिनेश प्रताप सिंह के कार्यकाल को भी याद किया जा रहा है। उनके कार्यकाल में

विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा, शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जनपद के प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय सहभागिता रही। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर दौरे के दौरान भी उन्होंने विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि प्रभारी मंत्री का दायित्व सरकार और जनपद प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। ऐसे में दारा सिंह चौहान की नियुक्ति को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नई जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे नए प्रभारी मंत्री का स्वागत करते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में जनपद में चल रही विकास योजनाओं को और गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद को दिए गए योगदान के प्रति भी आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर यह बदलाव प्रशासनिक एवं संगठनात्मक जिम्मेदारियों के पुनर्विन्यास का हिस्सा माना जा रहा है, जबकि जनपद के विकास और जनकल्याण की निरंतरता को लेकर सभी की अपेक्षाएं बनी हुई हैं।

अनिल कुमार सिंह ने संभाला कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पदभार, डॉ. राम जियावन मौर्य को दी गई विदाई

कुशीनगर।

जनपद के नवागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम निवर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नवागत अधिकारी का स्वागत किया तथा स्थानांतरित बीएसए को भावभीनी विदाई दी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अनिल कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा जनपद में संचालित शैक्षिक योजनाओं और विद्यालयों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर निवर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने नवागत बीएसए को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में जनपद की बेसिक शिक्षा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने डॉ. राम जियावन मौर्य को स्मृति चिह्न एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

स्वास्थ्य विभाग की बैठक में डीएम का सख्त रुख, 30 सीएचओ का वेतन रोका, जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने तय की जवाबदेही बोले— मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाना प्राथमिकता, ट्रिपल ए की बैठकें करें नियमित

देवरिया। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को पारदर्शी बनाने तथा राष्ट्रीय अभियानों के क्रियान्वयन में सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने विधिक चाबुक चलाया है। मंगलवार की देर शाम विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की उच्चस्तरीय बैठक में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने और विभागीय पोर्टल पर अनुपस्थित पाए जाने वाले 30 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का विधिक रूप से वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनुशासनहीनता अक्षम्य होगी। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए जमीनी स्तर पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की मुस्तैदी पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रिपल ए समन्वय बैठकें नियमित और परिणामोन्मुखी होनी चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी सत्रों में आवश्यक विधिक उपकरणों व संसाधनों की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित रूप से होम विजिट करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सेहत की सतत निगरानी में कोई कोताही न बरती जाए। लापरवाही मिलने पर केवल मैदानी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों और संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। बैठक में बुनियादी समस्याओं पर चर्चा के दौरान प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जलभराव तथा खराब एप्रोच रोड का मुद्दा भी सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को विधिक निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर चिकित्सालय परिसरों से जल निकासी और जर्जर मार्गों की मरम्मत का कार्य तत्काल सुनिश्चित कराएं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीमों को रोस्टर के अनुरूप शत-प्रतिशत सक्रिय रहने को कहा गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. रजनी पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. गुप्ता, सीएमएस डॉ. के. मिश्रा और जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा सहित समस्त एसीएमओ व डीपीएम उपस्थित रहे।

योगी के संबोधन में विकास, विरासत और 2027 के राजनीतिक संकेत

जनप्रतिनिधियों की सराहना, नाम परिवर्तन की घोषणा और मंच से दिखा मुख्यमंत्री का सहज अंदाज

कुशीनगर।

(आर के भट्ट) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को तमकुहीराज में आयोजित जनसभा के दौरान फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कुशीनगर की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जनपद भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित कुशीनारा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल तथा जैन तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ी पावन भूमि है।

उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली इतिहास पर यहां के लोगों को गर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान कार्यक्रम फाजिलनगर और तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित था। उन्होंने संकेत दिया कि निकट भविष्य में हाटा, कसया, रामकोला, खड्डा और पडरौना क्षेत्रों के लिए भी अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री के भाषण में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी राजनीतिक संकेत दिखाई दिए। उन्होंने कई बार मतदाताओं द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट की ताकत से अच्छे प्रतिनिधियों का चयन किया है, जिसके कारण प्रदेश में एक मजबूत और विकासोन्मुख सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विधायक डॉ. असीम कुमार और सुरेंद्र कुशवाहा की प्रशंसा की, वहीं देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के कार्यों की भी सराहना की। राजनीतिक जानकार मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को वर्तमान जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक टिप्पणी और भविष्य के लिए संकेत के रूप में देख रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का सहज और हास्यपूर्ण अंदाज भी देखने को मिला। संबोधन के दौरान उन्होंने सांसद एवं अभिनेता रवि किशन का नाम लेते समय एक बार उन्हें ÷रवि किशन मिश्र÷ कह दिया, जिसे बाद में सुधारते हुए ÷रवि किशन शुक्ल÷ कहा। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया और जनप्रतिनिधित्व को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी कर लोगों का मनोरंजन किया। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे पर भी चुटीला कटाक्ष करते हुए उन्हें भी फिल्मों में अभिनय का इच्छुक बताया, जिससे सभा में मौजूद लोगों के बीच ठहाके गूंज उठे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल विकास योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक संदेश और जनसंपर्क की झलक भी साफ दिखाई दी।

कप्तानगंज डिस्टलरी की वीरान चिमनी पूछ रही सवाल- आखिर किसने उजाड़ दी पूर्वांचल की औद्योगिक धरोहर?

कुशीनगर। कभी पूर्वांचल की औद्योगिक पहचान रही कप्तानगंज डिस्टलरी आज खंडहर में तब्दील होती जा रही है। एक समय इसकी चिमनी से उठता धुआं विकास और रोजगार का प्रतीक था, लेकिन वर्ष 2008 में उत्पादन बंद होने के बाद यह ऐतिहासिक औद्योगिक इकाई वीरानी का पर्याय बन गई है। करीब 49 एकड़ क्षेत्र में फैली इस डिस्टलरी की स्थापना वर्ष 1944-45 में हुई थी। दशकों तक इसने हजारों श्रमिकों को रोजगार, गन्ना किसानों को बाजार और क्षेत्र को आर्थिक मजबूती प्रदान की। लेकिन उत्पादन ठप होने के बाद न केवल हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई, बल्कि करोड़ों रुपये की संपत्तियां भी उपेक्षा का शिकार होती चली गईं। स्थानीय समाजसेवी राम नरेश अग्रहरी का कहना है कि यदि अन्य बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन की योजनाएं बन सकती हैं, तो कप्तानगंज डिस्टलरी को पुनः संचालित करने के लिए गंभीर प्रयास क्यों नहीं किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नीतिगत विफलता, प्रबंधन की लापरवाही या अन्य कारणों ने इस महत्वपूर्ण संस्थान को बर्बादी की ओर धकेला। आज डिस्टलरी की जर्जर इमारतें और बंद पड़ी चिमनी न केवल एक औद्योगिक इकाई के पतन की कहानी कह रही हैं, बल्कि उन हजारों परिवारों के संघर्ष की भी गवाही दे रही हैं, जिनकी जिंदगी कभी इस कारखाने से जुड़ी थी।

आखिर 45 मिनट क्यों लगे?, आप नेता भारद्वाज ने उठाए सवाल, बोले- लोगों ने बचाने के लिए गद्दे बिछाए

नई दिल्ली। राजधानी के मालवीय नगर स्थित एक होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। आग इतनी भयावह थी कि जान बचाने के लिए कुछ लोगों को ऊपरी मंजिल से छलांग लगानी पड़ी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस हादसे में लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि दमकल विभाग 45 मिनट की देरी से पहुंचा। स्थानीय लोगों को विदेशी नागरिकों को बचाने के लिए गद्दे बिछाने पड़े। भारद्वाज ने कहा कि दमकल स्टेशन पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे है। यह आग स्थल से केवल तीन मिनट की दूरी पर स्थित है। उन्होंने बिजली आपूर्ति समय पर बंद न होने पर भी सवाल उठाया। बिजली के तारों में धमाके हुए थे, जो इसकी पुष्टि करते हैं। दिल्ली पुलिस ने होटल में आग लगने के मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

आप नेता को दिल्ली सरकार पर हमला

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने फरवरी में पालन में हुई आग की घटना का जिक्र किया, जिसमें नौ लोग मरे थे। उस मामले की जांच रिपोर्ट तीन महीने बाद भी नहीं आई थी। भारद्वाज ने विवेक विहार में आग लगने पर दमकल विभाग में पानी न होने की बात भी कही। उन्होंने सरकार से अपनी जिम्मेदारी तय करने और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित रेस्तरां में आग लगने के मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। मालवीय नगर में आग लगने की जगह पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम पहुंची।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर बोला हमला

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, बहुत दुखद है। दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है। पिछले तीन महीने में हुई ये चौथी ऐसी घटना है जहां लोगों ने अपनी जान गंवा दी है लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट और यहां के कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं, इन्हीं के संरक्षण में कहीं न कहीं इस तरह की अवैध कार्रवाई होती है। लोग मर जाते हैं और यहां की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती?

आप नेता आतिशी ने मालवीय नगर हादसे पर पूछा- कौन जिम्मेदार

आप नेता आतिशी ने कहा, मालवीय नगर में आग लगने से 20 लोगों की जान जाने की खबर बहुत दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में बार-बार हो रहे अग्निकांडों और मासूम लोगों की मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? भाजपा सरकार के तहत आखिर फायर सेफ्टी व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों हो गई है?

बेंगलुरू हाउसिंग, फ्री बस पास- डीके शिवकुमार की पहली कैबिनेट बैठक में जानें क्या हुए बड़े फैसले

नई दिल्ली। कर्नाटक में नए युग की शुरुआत हो चुकी है. डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी संभालते हुए, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि नए युग की शुरुआत करने के लिए हमने मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ फैसले लिए हैं. डीके शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता की है. लोकतंत्र के चारों स्तंभों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए. शिवकुमार ने कहा कि हम सभी छात्रों के लिए फ्री बस पास जारी करेंगे. सिद्धारमैया ने कहा कि नेतृत्व गुणवत्ता बढ़ाने, सामाजिक सौहार्द कायम करने के लिए 10 हजार से अधिक भारत जोड़ो युवा संघ का गठन किया जाएगा.

बेंगुलरु की सड़क पर 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे

शिवकुमार ने घोषणा की देश की आईटी राजधानी की सड़कों के बेहतर बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु अब अपनी तकनीकी ताकत के साथ-साथ सड़कों पर मौजूद गड्ढों और ट्रैफिक जाम के लिए मशहूर हो चुका है. यह शहर अवैध रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी समस्या का सामना कर रहा है. जल्द यहां नई योजनाएं लाई जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नगर निकायों ने यह अनिवार्य कर दिया है. आदेश में कोर्ट ने कहा है कि जिन संपत्तियों की ऊंचाई या अन्य मापदंड स्वीकृत सीमा से अधिक है, उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री बोले- बिना किसी प्लानिंग के घर बना दिए

डीके ने कहा कि बेंगलुरु में बिना किसी प्लानिंग के घर बना दिए गए हैं. ऐसे घरों को बिजली और पानी का कनेक्शन देने पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं. 30 से 40 जगहों के लिए CC/OC जारी करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा 2,500 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का फैसला हुआ है. जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है, उन्हें भी इस स्कीम का फायदा उठाने का मौका दिया जाएगा. दूसरी बड़ी घोषणा युवाओं के लिए नौकरियों से जुड़ी है. राज्य सरकार 50 हजार नई पोस्ट जारी करने की कोशिश करेगी.

खान सर कोचिंग मारपीट मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, ज्ञान बिंदु कोचिंग के 3 डायरेक्टर गिरफ्तार

पटना। (वेबवार्ता) बिहार के पटना में मंगलवार रात खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हुए पथराव और हंगामे के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है. इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव है और अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशनी आनंद, अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, खान सर ने कल रात कोचिंग के बाहर फायरिंग का दावा किया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक अधिकारिक तौर पर फायरिंग की पुष्टि नहीं की है. फिलहाल, घटनास्थल पर एसएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम पहुंच चुकी है और घटना के करीब 16 घंटे बाद साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है.

अब कोचिंग के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट

इस घटना ने राज्य में कोचिंग संस्थानों के नियमन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षा विभाग ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में अब सभी कोचिंग संस्थान एक तय नीति के तहत चलेंगे. सरकार अगले तीन महीनों के भीतर एक व्यापक कोचिंग नीति तैयार करेगी. इस नई नीति के तहत सभी संस्थानों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनिवार्य होगा.

बिहार पुलिस परिणाम पर हुआ विवाद

वहीं इस विवाद की जड़ में हाल ही में आए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम को माना जा रहा है. परीक्षा में 19838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था. खान सर ने दावा किया कि उनके संस्थान से 12 हजार से अधिक छात्रों ने सफलता हासिल की है. वहीं, उसी कैंपस में स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद ने भी 10 हजार से अधिक छात्रों के चयन का दावा किया.

अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियों ने कसा सुरक्षा घेरा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। हाल ही में जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर में जिला जम्मू के एसएसपी और जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर ने दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने यात्रा के प्रबंध, सुरक्षा व अन्य तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक भी की। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यात्रा मार्ग और जम्मू शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसी के चलते एसएसपी ने जम्मू के बहु प्लाजा से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर विशेष नाका लगाया। इस दौरान आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो।

सबको साथ लेकर चलें- सोनिया गांधी ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को दी सलाह

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से फोन पर बात की। उन्होंने शिवकुमार को अपनी शुभकामनाएं दीं और सरकार व संगठन में सबको साथ लेकर चलने की सलाह दी। शिवकुमार के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सोनिया गांधी ने उन्हें शीर्ष पद संभालने पर बधाई दी और विश्वास जताया कि वे कर्नाटक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे। उन्होंने शिवकुमार से कहा, सबको साथ लेकर चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर्नाटक को सफलता के पथ पर आगे ले जाएंगे। अपनी नई जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाएं और बड़ी सफलताएं हासिल करना जारी रखें। शिवकुमार ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को उनके मार्गदर्शन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। यह फोन कॉल शिवकुमार के बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले आई। मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, सोनिया गांधी जी ने आज सुबह मुझे फोन कर बधाई दी। उन्होंने लंबे समय से मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उनके इस भरोसे पर खरा उतरने और अच्छे काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैं कर्नाटक की राजनीति के उन वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेता रहूंगा।

ईरान के हमलों से खाड़ी देशो में हड़कंप, कुवैत एयरपोर्ट पर स्ट्राइक में मौत के बाद भड़का कतर

नई दिल्ली। खाड़ी क्षेत्र में जारी अस्थिरता के बीच ईरान द्वारा कुवैत और बहरीन पर किए गए ड्रोन एवं मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। कुवैत सरकार के अनुसार, कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक टर्मिनल को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। हमले से हवाई अड्डे को भारी भौतिक नुकसान पहुंचा और कुछ समय के लिए वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि यह कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ जवाबी हमला थी। गार्ड्स ने कहा कि ये हमले अमेरिका के लिए सबक होने चाहिए और क्षेत्र में उसके सैन्य हस्तक्षेप के जवाब में किए गए हैं।

कतर ने हमलों को बताया अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

घटना के बाद कतर ने कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहा कि नागरिक ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना 1949 के जिनेवा कन्वेंशनों और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। कतर ने कहा कि नागरिकों और नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और इससे क्षेत्रीय शांति को गंभीर खतरा पैदा होता है। दोहा ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और संयम बरतने की अपील की।

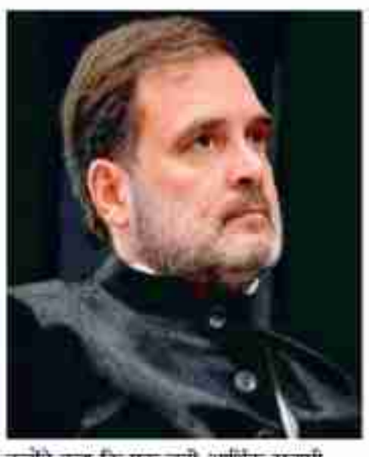

कुवैत और बहरीन के साथ एकजुट

कतर ने अपने बयान में कुवैत और बहरीन के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त की तथा उनकी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन किया। साथ ही हमले में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।

राहुल गांधी का दावा: एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, व्यवस्था के भीतर बगावत की स्थिति

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस व्यवस्था पर कभी उनकी पकड़ थी, वह अब हिल चुकी है और अंदर से टूट रही है। राहुल गांधी नई दिल्ली के इंदिरा भवन में आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में कई जनजातीय नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा, एक आर्थिक सुनामी आने वाली है और जनता के दबाव के कारण व्यवस्था के भीतर भी विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने दावा किया, जिस व्यवस्था को कभी मोदी नियंत्रित करते थे, वह अब बिखर रही है। वही व्यवस्था अब उन्हें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के बारे में जानकारी दे रही है।

बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने जनजातीय नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरे आकलन में मोदीजी एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत की वह सुरक्षा व्यवस्था, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के झटकों से देश को बचाती थी, उसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हटा दिया है।

संस्थाओं के भीतर विद्रोह की स्थिति

कांग्रेस नेता ने कहा, एक तरफ बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है, महंगाई बढ़ रही है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ऐसा आर्थिक संकट देखेगा, जैसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यह होने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ भारत की संस्थाओं के भीतर बगावत चल रही है। चुनाव आयोग पूरी तरह नियंत्रित है।

चुनाव आयोग पर फिर लगाया गंभीर आरोप

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) उन्हें संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। गांधी के अनुसार, सब लोग विद्रोह कर रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, नियंत्रण की पूरी व्यवस्था अंदर से टूट रही है। जनता का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि अगर वे इसी रास्ते पर चलते रहे, तो वह उनके लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को यह महसूस हो जाए कि चुनाव प्रणाली में गड़बड़ी हो रही है और आर्थिक दबाव के कारण जनता का आक्रोश बाहर आ जाए, तो चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित होगा कि आगे क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि व्यवस्था हिल चुकी है और अब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों से जुड़ी जानकारियां मिल रही हैं।

आपातकाल लगाने की संभावना

राहुल गांधी ने कहा, संभव है कि वे जनता के दबाव को दबाने की कोशिश करें और आपातकाल जैसी कोई स्थिति लागू करें। यह संभव है। उन्होंने कहा, हम अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पहले उनके पास पूरा नियंत्रण था, लेकिन अब वह नियंत्रण खो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को इस स्थिति की जानकारी है। उन्होंने कहा, जब मैं मोदीजी से मिलता हूं और उनकी बैठकों में शामिल होता हूं, तो मेरे पास उनके बारे में इतनी जानकारी होती है कि उन्हें भी पता होता है कि मुझे यह सब पता है। जब मैं उनसे मिलता हूं, तो उन्हें मालूम होता है कि जिस व्यवस्था को वे कभी नियंत्रित करते थे, वह अब हिल चुकी है और सारी जानकारी मुझे दे रही है।

क्या देश का गोल्ड बेचा जा रहा है? रुपये संकट पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार से उन खबरों पर सवाल उठाए जिनमें कहा गया है कि रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होने के बीच भारत ने विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को सहारा देने के लिए अपने सोने के भंडार का कुछ हिस्सा बेचा होगा। खबर लिखे जाने के समय, रुपया 95.691 प्रति अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जिसमें 0.45फीसदी की वृद्धि हुई थी। ईरान संघर्ष से जुड़े भू-राजनीतिक दबावों के बीच विदेशी

"उन्होंने लिखा कि क्या यह खबर सच है? क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी कंगाल हो गई है? पिछले 76 वर्षों में कई बार देश ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी सोना नहीं बेचा गया। क्या इसका मतलब है कि स्थिति बेहद खराब है?

मुद्रा परिसंपत्तियों को सहारा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा कुछ सोने के भंडार बेचे जाने के दावे वाली खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, केजरीवाल ने सरकार से अर्थव्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा। एक्स पर एक पोस्ट में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या रिपोर्ट सच है और इस तरह के कदम के निहितार्थों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि क्या यह खबर सच है? क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी कंगाल हो गई है? पिछले 76 वर्षों में कई बार देश ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी सोना नहीं बेचा गया। क्या इसका मतलब है कि स्थिति बेहद खराब है? सरकार हमें कुछ क्यों नहीं बता रही है? देश की हालत क्या है? उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी कहते हैं कि वे बस अपना सामान उठाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन हमें यहीं रहना होगा, हमें इसी देश में जीना होगा। ये टिप्पणियां 3 जून से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक से पहले आरबीआई की मौद्रिक नीति पर चल रही चर्चाओं के बीच आई है। छह सदस्यीय समिति द्वारा ब्याज दरों, मुद्रास्फीति के रुझानों और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरबीआई गवर्नर 5 जून को नीतिगत निर्णय की घोषणा करेंगे। वहीं, एसबीआई रिसर्च ने तर्क दिया है कि रुपये पर दबाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद रेपो दर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, उसने सुझाव दिया कि केंद्रीय बैंक अल्पकालिक ब्याज दर उपायों और तरलता प्रबंधन उपायों पर निर्भर रह सकता है।

होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, 21 की मौत

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौज रानी इलाके में बुधवार सुबह एक पांच मंजिला होटल 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' में लगी भीषण आग ने गुरुग्राम के एक ही परिवार के आठ सदस्यों समेत 21 लोगों की जान ले ली।

19 से अधिक लोग घायल या झुलसे हैं जिनमें से नौ की हालत नाजुक है। मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद घायलों और झुलसे लोगों को पास के मैक्स अस्पताल, मदन मोहन मालवीय, एम्स और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। मैक्स अस्पताल के अनुसार उनके यहां 39 लोगों को लाया गया। इनमें से 18 को मृत घोषित कर दिया गया। 15 घायलों को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जिनमें आठ वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल ने बताया कि कई धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत, झुलसने और फ्रैक्चर जैसी चोटों से पीड़ित हैं। पांच को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे एक शख्स को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कुल 13 घायलों को भर्ती कराया गया। इनमें तीन लोग इमारत से गिरने के कारण घायल हुए, जबकि 10 अन्य लोग बचाव अभियान के दौरान फंसे लोगों को निकालते समय घायल हुए थे। हादसे ने एक बार फिर राजधानी में अवैध निर्माण, फायर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आपात बैठक बुलाई। होटल मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियां आग लगने के कारणों, होटल संचालन की वैधता और लापरवाही के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं।

■ मालवीय नगर अग्निकांड - 19 घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज

संकरी इमारत में फंस गए लोग, 40 को निकाला गया

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के अनुसार, हौज रानी स्थित 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' में सुबह करीब 8:30 बजे आग लगी। कुछ ही मिनटों में लपटों और धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों, पुलिस और दमकल कर्मियों ने बचाव अभियान चलाकर करीब 40 लोगों को बाहर निकाला। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

छह कमरों की अनुमति, बन गए 25...अब पता कर रहे फायर एनओसी थी या नहीं

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल को दिल्ली सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति के तहत केवल छह कमरों की अनुमति मिली थी, लेकिन वहां 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि प्रतिष्ठान के पास वैध फायर एनओसी थी या नहीं।

"19 से अधिक लोग घायल या झुलसे हैं जिनमें से नौ की हालत नाजुक है। मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।

एक ही प्रवेश व निकास मार्ग बना बड़ी त्रासदी की वजह

अधिकारियों के अनुसार इमारत में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता था। आग फैलने के बाद यही रास्ता धुएं और लपटों से भर गया, जिससे लोग अंदर फंस गए। इमारत में तहखाना, भूतल और पांच ऊपरी मंजिलें थीं। भूतल पर रेस्तरां संचालित था, जबकि बाकी हिस्से का उपयोग होटल के रूप में किया जा रहा था।

संकरी गलियां, लटकते बिजली के तार...तेजी से फैली आग

घटनास्थल के दृश्य भयावह थे। संकरी गलियां, लटकते बिजली के तार और एक-दूसरे से सटी इमारतों के बीच आग तेजी से फैली। चारों ओर टूटे कांच बिखरे पड़े थे। दमकल, पुलिस और राहत दलों ने घंटों तक धुएं से भरी इमारत में खोज अभियान चलाया।

जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदे लोग, चोट न लगे इसलिए सड़क पर बिछाए गद्दे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग फैलते ही लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर मदद की गुहार लगाने लगे। स्थानीय लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाकर बचाव में सहयोग किया। इसी दौरान एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई। दोनों गद्दे पर गिरे और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बेसमेंट का दरवाजा बंद था और उसे खोलने में 20 मिनट से अधिक समय लग गया। इस देरी ने हालात और गंभीर बना दिए।

शवों की पहचान में भी मुश्किलें

अस्पतालों के बाहर अपनों की तलाश में परिजनों की भीड़ जुटी रही। कई शव इतने बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। नमित गोयल ने बताया कि उनके छह रिश्तेदार आग की चपेट में आए। चार शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि दो की पहचान अभी बाकी है। एक अन्य व्यक्ति अपनी बेटी और दो नातियों की तलाश में अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। उसे अपने दामाद की मौत की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों का अब तक पता नहीं चल पाया था।